जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनाँक 20.09.2023**

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त भोपाल पुत्र कल्लू निवासी त्रिलोकावाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 193/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम भोपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भोपाल पुत्र कल्लू नि0 त्रिलोकावाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.हे0का0 141 हरमीत सिंह थाना नगीना देहात बिजनौर।

2.का0 1926 राहुल कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।

थाना रेहड पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/23 धारा 354/354घ/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.09.2023 को थाना रेहड क्षेत्र की वादिनी द्वारा थाना रेहड पर अभियुक्त मनु पुत्र पुन्नी निवासी थाना रेहड जनपद बिजनौर के विरुद्ध अपने साथ छेडछाड करने, गाली गलौच करने व मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 77/23 धारा 354/354घ/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम मनु उपरोक्त पंजीकृत कराया गया ।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों व वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2023 को थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 77/23 धारा 354/354घ/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त मनु कुमार पुत्र पुन्नी निवासी थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार कर रिमांड हेतु ले जाया जा रहा था। थाना शेरकोट क्षेत्रान्तर्गत पुलिस गाडी में पंचर हो जाने पर मौका पाकर अभियुक्त भाग गया, जिसको टीम द्वारा सतर्कता बरतते हुये पुनः गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के भागने के सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 210/23 धारा 224 भादवि बनाम मनु उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-मनु कुमार पुत्र पुन्नी निवासी थाना रेहड जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।
2. का0 1826 सन्नी चौधरी थाना रेहड जनपद बिजनौर।

जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने क्षेत्र में की जा रही बैंक चैकिंग के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 20.09.2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा भ्रमणकर अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक/ATM की चैकिंग के दौरान CCTV कैमरा, इमरजेंसी अलार्म व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों

को चेक कर बैंक सुरक्षा में डयूटीरत पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।